संख्या-06/2025/।/844993/2025/001-71-2099-984-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 जनवरी, 2025

विषय- के0जी0एम0यू0, लखनऊ के खदरा परिसर में जी0एन0 मिश्रा टी0जी0 हास्टल में स्थिति न्यू हॉस्टल, मल्टी स्टोरी हास्टल एवं एनेक्सी हास्टल 03 भवनों में नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार सम्बन्धी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-136/योजना अनु0/2024, दिनांक 03.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ के खदरा परिसर में जी0एन0 मिश्रा टी0जी0 हास्टल में स्थिति न्यू हॉस्टल, मल्टी स्टोरी हास्टल एवं एनेक्सी हास्टल 03 भवनों में नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार सम्बन्धी परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0 के 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से रू0 1075.09 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 537.55 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 424.66 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 112.89 लाख) अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

1. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/ कार्यदायी संस्था की होगी।
2. प्रस्तावित प्रायोजना के पुनरोद्धार एवं जीर्णोद्धार के उपरान्त प्राप्त होने वाली पुरानी सामग्री का ह्रासित मूल्य निर्धारित कर प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराए जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।
3. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य मरम्मत हेतु कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय जो कि प्रस्तावित कार्यों की गुणवत्ता, मात्राएं आदि सहित प्रायोजना का सम्पूर्ण अनुश्रवण कार्य भी देखेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. कुलसचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। कुलसचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
5. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
6. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
7. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
8. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
9. कुलसचिव, के0जी0एम0यू0/कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।
10. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। कुलसचिव द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्नि कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।
11. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायें, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलसचिव का होगा।
13. प्रायोजना में प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों का आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 4,24,66,000 (रुपये चार करोड़ चौबीस लाख छियासठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,12,89,000 (रुपये एक करोड़ बारह लाख नवासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-235/दस-2024-25 दिनांक- 10 दिसम्बर, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-06/2025/।/844993/2025/001-71-2099-984-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।**
2. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।**
3. **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।**
4. **नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।**
5. **निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।**
6. **मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
7. **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।**
8. **वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2**
9. **परियोजना प्रबन्धक, परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**